राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 288/2023

सोजी सिंह प्रतिहार **—अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सहायक शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, इंदिरा गांधी नहर भवन मण्डल, डॉ. भीमराव अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, ज्योति नगर मोड, जयपुर।
3. देवी सिंह बेनीवाल, अधीक्षक अभियंता (एस.ई.), वर्तमान स्थानान्तरण रेग्यूलेशन वृत्त, इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आई.जी.एन.पी.), हनुमानगढ़।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.01.2023
आदेश की दिनांक : 30.01.2023

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री मनीष कुमार शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अधीक्षण अभियंता के पद पर जल संसाधन वृत्त, भरतपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से रेग्यूलेशन वृत्त, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, हनुमानगढ़ किया गया है तथा आदेश दिनांक 14.01.2023 के द्वारा हनुमानगढ़ से जल संसाधन वृत्त, नोहर किया गया, जो वर्तमान पदस्थापन स्थान से 600 कि.मी. दूर है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को उसके स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना

किसी प्रशासनिक कारणों के अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक वर्ष की अल्पावधि में ही किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत ना करते हुए मौखिक रूप से बहस की है कि अपीलार्थी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है तथा स्थानान्तरण आलोच्य आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अधीक्षण अभियंता के पद पर जल संसाधन वृत्त, भरतपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का 600 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य